

अनवान नरेन्द्र सिंह बनाव पुष्कर सिंह वीर  
प्रकरण संख्या 132/2023 वाद  
प्रारम्भिक डिफ्री वाद धारा 53, 188 RTA

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर  
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर  
अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर

GCMS No. 2023/258

श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी, उम्र 50 वर्ष, निवासी  
तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर हाल निवासी 8 न्यू कुम्भानगर, सेक्टर  
उदयपुर (राज.)

बनाम

वादी

1. पुष्कर सिंह शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी निवासी- जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर हाल निवासी 759/2 जागृति पार्क, सेक्टर 30, गांधी नगर, (गुजरात)
2. विक्रमसिंह शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी, निवासी गाँव जगत पोस्ट जगत तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर
3. श्री भगवत सिंह शक्तावत पुत्र श्री रणवीर सिंह निवसी गाँव जगत पोस्ट जगत तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गणेश गिरी निवासी गाँव जगत पोस्ट जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. भूमिधारी, सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कुराबड़ प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत वादी स्वयं
2. श्री अमर सिंह सिसौदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 4
3. श्री नरेन्द्र आमेटा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025



प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम जगत, पटवार हल्का जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर की परिशिष्ट "क" आराजी संख्या 2659 से 2670, 2674 से 2685 कुल किता 24 रकबा 7.0200 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के हक व अधिकार की, परिशिष्ट "ख" आराजी संख्या 2656, 2657 किता 2 रकबा 0.1450 हैक्टेयर तथा परिशिष्ट "ग" आराजी संख्या 2658 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि वादी

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुर

प्रकरण संख्या 132/2023 याद  
अनवान नरेन्द्र सिंह बनाम पुष्कर सिंह वगैरह  
प्रारम्भिक डिक्री याद धारा 53, 108 RTA

132/2023  
एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के हक व अधिकार की चली आ रही थी।

परिशिष्ट "ख" की आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को तथा परिशिष्ट "ग" की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को बिकाव कर दी। लेकिन वर्णित भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हुआ है। वादी द्वारा वादवर्णित भूमि का प्रतिवादीगण 1 से 4 को बंटवाड़ा कराने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा मना कर दिया गया। अतः वाद के परिशिष्ट "क" से "ग" में वर्णित भूमि का जरिये मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन रेकार्ड में अलग से प्रविष्टि दर्ज कराये तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुराबड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व ए/2025/747 दिनांक 08.08.2025 से बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी द्वारा सहमति प्रकट की गई तथा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद किसी भी आपति नहीं की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत है।

अतः उभयपक्ष बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :-

1- पुष्कर सिंह पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2658 मी.	0.0462		
2679	0.2900		
2680मी.	1.4248		
2682मी.	0.3473		
2683मी.	0.0225		
2684	0.2200		
2685	0.0350		
किता 7	रकबा 2.3858		लगान



2- नरेन्द्र सिंह पिता निर्भयसिंह, जाति राजपूत देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर

अनवान नरेन्द्र सिंह बनाम पुष्कर सिंह खोसल  
 प्रकरण संख्या 132 / 2023 वाद  
 प्रारम्भिक डिग्री वाद द्वारा 63, 188 RTA  
 किरम  
 लगान

आ.स.  
 2656मी.  
 2657मी.  
 2658 / 2  
 2659 / 1  
 2660  
 2661  
 2662  
 2663  
 2664  
 2666 / 2  
 2676  
 2677  
 2678  
 2680 / 1  
 2682 / 1  
 2683 / 1

रकबा  
 0.0517  
 0.0550  
 0.0288  
 0.0464  
 0.4505  
 0.0100  
 0.0250  
 0.0250  
 0.0930  
 0.0100  
 0.1900  
 0.0700  
 0.0800  
 0.6938  
 0.5527  
 0.0225

किता 16 रकबा 2.4044

3- विक्रम सिंह पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत, देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किरम	लगान
2664 / 1	0.0260		
2665	0.0350		
2666मी.	0.1325		
2667	0.0900		
2668	0.4500		
2669	0.1300		
2670	0.3000		
2674	0.3200		
2675	0.2400		
2680 / 2	0.5825		
किता 10	रकबा 2.3060		

4- भगवत सिंह पिता रणवीर सिंह जाति-राजपूत, देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किरम	लगान
2656 / 1	0.0133		
2657 / 1	0.0250		
2658 / 3	0.0600		
किता 3	रकबा 0.0983		

5- ओम प्रकाश पुत्र गणेश गिरि देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किरम	लगान
2658 / 1	0.0150		
2659मी.	0.0036		
किता 2	रकबा 0.0186		



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर  
 अनवान नरेन्द्र सिंह बन्गम पुकर सिंह वगैरह  
 प्रारम्भिक डिक्री याद धारा 83, 108 R.T.A  
 प्रकरण संख्या 132/2023 काद  
 पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत, हिस्सा 1/3वां जाति राजपूत, पुकर सिंह  
 पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत, हिस्सा 1/3वां जाति राजपूत, पुकर सिंह  
 जाति-राजपूत हिस्सा 1/3 देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2660/1	0.0195		
2664/2	0.0160		
2666/1	0.0075		
2680/3	0.0289		
2681	0.0300		

किता 5 रकबा 0.1019

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम जगत, पटवार हल्का जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर की परिशिष्ट "क" आराजी संख्या 2659 से 2670, 2674 से 2685 कुल किता 24 रकबा 7.0200 हैक्टेयर, परिशिष्ट "ख" आराजी संख्या 2656, 2657 किता 2 रकबा 0.1450 हैक्टेयर तथा परिशिष्ट "ग" आराजी संख्या 2658 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि बंटवारा फहरिस्त की कलम संख्या 2 में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार कुराबड़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।



(अवुला साई कृष्ण)  
 आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी  
 गिर्वा, उदयपुर

## डिग्री व मुकदमे इब्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

नागालय उपखण्ड अधिकारी, गिवा, उदयपुर मुकाम गिवा-उदयपुर पीठासीन  
अधिकारी अयुला साई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकदमा 132/2023 सन 2023 रीगह वाद नरेन्द्र  
सिंह शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी, उम्र 50 वर्ष, निवासी जगत, तहसील कुराबड़,  
जिला उदयपुर हाल निवासी 8 न्यू कुम्भानगर, सेक्टर नम्बर 4, उदयपुर (राज.) बनाम (1)  
पुष्कर सिंह शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी निवासी- जगत, तहसील कुराबड़, जिला  
उदयपुर हाल निवासी 759/2 जागृति पार्क, सेक्टर 30, गांधी नगर, (गुजरात) (2) विक्रमसिंह  
शक्तावत पुत्र स्व. श्री निर्भयसिंह जी, निवासी गौव जगत पोस्ट जगत तहसील कुराबड़ जिला  
उदयपुर (3) श्री भगवत सिंह शक्तावत पुत्र श्री रणवीर सिंह निवसी गौव जगत पोस्ट जगत  
तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर (राज.) (4) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गणेश गिरी निवासी गौव  
जगत पोस्ट जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (5) भूमिधारी, सरकार जरिये  
श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कुराबड़ वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अयुला साई कृष्ण, आई.ए.एस. के  
समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी स्वयं तथा प्रतिवादी 1, 4 अधिवक्ता श्री अमर सिंह सिसौदिया तथा  
प्रतिवादी 2 अधिवक्ता नरेन्द्र आमेटा की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

1- पुष्कर सिंह पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2658 मी.	0.0462		
2679	0.2900		
2680मी.	1.4248		
2682मी.	0.3473		
2683मी.	0.0225		
2684	0.2200		
2685	0.0350		

किता 7 रकबा 2.3858

2- नरेन्द्र सिंह पिता निर्भयसिंह, जाति राजपूत देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2656मी.	0.0517		
2657मी.	0.0550		
2658 / 2	0.0288		
2659 / 1	0.0464		
2660	0.4505		
2661	0.0100		
2662	0.0250		
2663	0.0250		
2664	0.0930		
2666 / 2	0.0100		
2676	0.1900		
2677	0.0700		
2678	0.0800		
2680 / 1	0.6938		
2682 / 1	0.5527		
2683 / 1	0.0225		

किता 16 रकबा 2.4044

3- विक्रम सिंह पिता निर्भय सिंह जाति राजपूत, देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2664 / 1	0.0260		
2665	0.0350		
2666मी.	0.1325		
2667	0.0900		

